भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1259
उत्तर देने की तारीख 11 दिसंबर, 2023
सोमवार, 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

महिला उद्यमिता

1259. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय अक्सर अत्यधिक सफल होते हैं और व्यवसाय में महिलाओं के बारे में महत्वपूर्ण बाधाओं और मान्यताओं को दूर करके आर्थिक विकास में अधिक वृद्धि ला सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन और मेंटरशिप सहायता के माध्यम से महिला उद्यमी परितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग के लिए कौशल के लिए सक्षम बनाना है।

यह देखा गया है कि सूक्ष्म से लेकर बड़े (एसएचजी और कॉर्पोरेट) तक कई महिला-नीत व्यवसाय वास्तव में बहुत सफल हैं और विकास के लिए अच्छी तरह से प्रबंधित हैं।

I. देश में महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं को उनके लाभकारी रोजगार हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में स्थापित एक बैंक-नीत-एमओआरडी वित्त-पोषित प्रशिक्षण संस्थान है। एमओआरडी आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण गरीब उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की लागत भी वहन करता है। 18-45 वर्ष के आयु-वर्ग का कोई भी बेरोजगार युवा जिसमें स्व-रोजगार या वैतनिक रोजगार अपनाने की अभिरुचि हो और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान हो, वह आरएसईटीआई में प्रशिक्षण ले सकता है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय-वर्ष के दौरान दिनांक 31.10.2023 तक प्रशिक्षित और नियोजित महिला अभ्यर्थियों सहित प्रशिक्षित और बसे हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्तीय-वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल नियोजित	प्रशिक्षित महिला	नियोजित महिला	प्रशिक्षित महिला का प्रतिशत
2020-21	255141	185234	206794	138538	81 प्रतिशत
2021-22	314114	256429	257107	212400	82 प्रतिशत
2022-23	409802	325880	331898	272977	81 प्रतिशत
2023-24 से 31.10.23 तक	260355	147481	202295	121849	78 प्रतिशत

(ii) 05 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई) को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को ऋण की सुविधा प्रदान करना है। संपार्श्विक मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया (सीजीएफएसआई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए सिडबी द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जो 8000 से अधिक सक्रिय हैंड होल्डिंग एजेंसियों के माध्यम से संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण से लेकर ऋण आवेदन भरने तक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने देश भर में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को 2.09 लाख से अधिक ऋण देने की सुविधा प्रदान की है। इस स्कीम के प्रारंभन के बाद से दिनांक 24.11.2023 तक इसमें से 1.77 लाख से अधिक ऋण (84%) महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

(iii) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 08.04.2015 को सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई), अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण क्रेडिट का विस्तार करने के लिए शुरू की गई थी। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, तीन ऋण श्रेणियों, अर्थात शिशु (50,000/- रुपए तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक का ऋण) और तरूण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक का ऋण) में कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन, कार्यकलापों के लिए स्कीम के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। एमएलआई द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की गारंटी हेतु भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) की स्थापना की गई है। दिनांक

24.11.2023 तक, इस स्कीम के प्रारंभन के बाद से पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल 44.46 करोड़ रुपए ऋण दिए गए हैं। कुल 30.64 करोड़ रुपए में से अधिक ऋण (69 प्रतिशत) महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर के नजदीक रोजगार के सुलभ अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत सीमांत राशि (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षीय जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत राशि सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत है। इस परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। साथ ही, **महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों का स्व-योगदान** सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10 प्रतिशत की तुलना में **05 प्रतिशत** है। वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के प्रति पूर्ववर्ती अच्छे निष्पादन के आधार पर सहयोग दिया जाता है। दूसरे ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत सीमांत राशि (एमएम) सब्सिडी के लिए अनुमेय अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण संबंधी पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 प्रतिशत) है। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

(v) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

- महिला-नीत स्टार्ट-अप में इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित स्टार्ट-अप स्कीम के लिए फंड ऑफ फंड्स में निधि का 10 प्रतिशत (1000 करोड़ रुपये) महिला-नीत स्टार्ट-अप के लिए आरक्षित है। उक्त स्कीम के तहत, 30 अप्रैल 2023 तक, 11 महिला-नीत एआईएफ को एफएफएस के अंतर्गत सहयोग दिया गया है और लगभग लगभग 110 महिला-नीत स्टार्ट-अप में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

- महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिला-नीत स्टार्ट-अप के लिए एक अद्वितीय क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो इच्छुक और स्थापित दोनों महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप यात्रा में अभिनिर्धारित और सहयोग करने के लिए है। कार्यशालाएँ प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए हैं। इन कार्यशालाओं ने उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इन विंग कार्यशालाओं ने चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने तथा भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखी

गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है। 9 राज्यों में कुल 24 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे 1,300 से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हुआ।

• महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम ज़ोन स्टार्ट-अप्स के सहयोग से 3 माह के लिए प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सहयोग के साथ 20 महिला-नीत तकनीकी स्टार्ट-अप्स का सहयोग करने के लिए आयोजित किया गया था।

• स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

• एसेंड स्टार्ट-अप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्ट-अप कार्यशालाओं हेतु महिलाएं: सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों, इच्छुक उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्ट-अप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एसेंड (एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाएँ उत्तर-पूर्वी राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की जा रही हैं। कार्यशालाएँ नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के दौरान मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, महत्वाकांक्षी उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे 11,000 से अधिक इकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई।

• सुपर स्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपर स्त्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। महिलाओं में नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाने और देश में महिला उद्यमिता को और सुदृढ़ करने के लिए 8 से अधिक पॉडकास्ट जारी किए गए हैं।

• सरकार द्वारा आयोजित अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, सरकार मौजूदा स्कीमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का सहयोग करती हैं।

• स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के सहयोग संबंधी राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रणालियों का पता लगाने के लिए एक अभ्यास है। इस मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिला-नीत स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन और विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उस पर भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

• देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहनता, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार ('एनएसए') की स्थापना की। एनएसए के विजेता बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, मैसूर, भोपाल, गुरुग्राम, कोच्चि, लखनऊ, मडगांव आदि से सामने आए हैं। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला-नीत स्टार्टअप के लिए एक विशेष श्रेणी और पुरस्कार शामिल किया गया है। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्ट-अप को मान्यता देता है और बढ़ावा देता है

(vi) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक स्कीम के रूप में 'मिशन शक्ति' - एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू कर रहा है। मिशन शक्ति की अंब्रेला स्कीम में "संबल" और "समर्थ्य" नामक दो उप-स्कीमें हैं। 'सामर्थ्य' उप-

स्कीम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक घटक अर्थात महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) है। एचईडब्ल्यू का लक्ष्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिसमें महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का आभास हो। एचईडब्ल्यू के अंतर्गत सहायता महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, पिछड़े और आगे तक पहुंच की सुविधा सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और स्कीमबद्ध सेट-अप में मार्गदर्शन, संबद्धता और हैंड होल्डिंग पूरे देश में जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिकों के लिए संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए है।

II. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से देश भर में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है। एमएसडीई ने देश भर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न पहल की हैं। एमएसडीई द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) संकल्प स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत क्षमता-निर्माण, इन्क्यूबेशन सपोर्ट, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशील माहौल का सुदृढीकरण

निस्बड, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के संकल्प कार्यक्रम के सहयोग से सीमांत आबादी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उद्यमशीलता इकोसिस्टम के सुदृढीकरण हेतु इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। क्षमता-निर्माण अन्तःक्षेपों के माध्यम से परियोजना में कुल 13987 महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

(ii) जेल संवासियों में उद्यमशीलता विकास

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, निस्बड के माध्यम से जेल संवासियों में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना नारी बंदी निकेतन, लखनऊ, मॉडल जेल, लखनऊ और सेंट्रल जेल, वाराणसी में कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना में कुल 140 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) कारीगर मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन

निस्बड मेलों और हाटों के दौरान क्षमता-निर्माण के लिए कार्यशालाओं के आयोजन और कारीगरों को उद्यमशीलता का ज्ञान प्रदान करने के लिए एमएसडीई द्वारा समर्थित परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना में कुल 342 महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

(iv) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशील वातावरण तैयार करना

निस्बड जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशील वातावरण तैयार करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से परियोजना में कुल 3666 महिला जेएसएस प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(v) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक परियोजना

निस्बड ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 10 राज्यों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना पैदा करना, प्रोत्साहन देना और प्रचार-प्रसार करना है। इस परियोजना में कुल 3089 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(vi) पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना

निस्बड ने वाराणसी, हरिद्वार और पंढरपुर में पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी परियोजना कार्यान्वित की है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा आजीविका कार्यकलापों को पुनः शुरू करने के माध्यम से मंदिर शहर की उद्यमशीलता कार्यकलापों को उत्प्रेरित करना और मौजूदा उद्यम को बढ़ाने के लिए सहयोग देना और संभावित उद्यमियों का दोहन करना, उन्हें उद्यमों की पहचान करने, स्थापित करने और उद्यमों के प्रबंधन के लिए सलाह देना था। इस परियोजना के माध्यम से तीन परियोजना स्थानों पर कुल 5719 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(vii) **भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)**, गुवाहाटी ने महिला-नीत स्टार्ट-अप के पोषण और सहयोग के लिए समर्पित इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र विचार, नवाचार और प्रारंभिक चरण के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। वे साझा कार्यालय स्थान, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और नेटवर्किंग के अवसरों जैसे संसाधन प्रदान करते हैं, एक सहयोगी इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं जो महिला उद्यमियों को सफलता की ओर प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक पूंजी बाधाओं को कम करने के लिए महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईआईई द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं:

(क) संस्थान ने प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं जिन्हें पहले प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के नाम से जाना जाता था, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का लाभ देता है। महिलाओं को पीएमवीडीवाई स्कीम के माध्यम से पेश किए गए विभिन्न व्यवसायों को सीखने और अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे विभिन्न जनजाति समुदायों की इन महिलाओं की आजीविका में सुधार होगा। पीएमवीडीवाई स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर को कार्यशील पूंजी के रूप में 2,40,000 रुपए का निधि प्रदान किया जाता है, जिसकी मदद से लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कच्चा माल और अन्य आवश्यक सामान खरीद सकते हैं। नवीकरण की सुविधा, अनिवार्य अनुपालन के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए भंडारण स्थान बढ़ाने और बिजली कनेक्शन के लिए प्रति क्लस्टर अतिरिक्त सहायक निधि भी आवंटित और वितरित की जाती है।

(ख) पारंपरिक कारीगर कार्यकलाप को पुनर्जीवित करने के लिए क्लस्टर विकास परियोजनाएं शुरू की गईं: उत्तर-पूर्व क्षेत्र में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) कार्यान्वयन पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) के माध्यम से महिला-नीत समूहों के लिए पुनर्जनन और पुनरोद्धार प्रयासों का सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहा है। स्फूर्ति को वित्तीय सहायता, क्षमता-निर्माण, डिजाइन विकास, उत्पाद विकास सहयोग, क्षमता-निर्माण, बाजार लिंकेज सहयोग और तकनीकी उन्नयन सहित महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके पारंपरिक उद्योगों में नई जान फूंकने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) आईआईई गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों में स्फूर्ति के तहत क्लस्टर विकास की 61 परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। मुख्य फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्र और महिला लाभार्थियों पर है, जिन्होंने उद्यम के अवसर पैदा करने के लिए सामूहिक गठन के लिए अपने घरों से बाहर कदम रखा है। इन 61 समूहों में से 30 क्लस्टर मुख्य रूप से महिला-नीत

हैं, जो हथकरघा पारंपरिक कपड़ा, पोशाक निर्माण, बांस शिल्प और अन्य शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, खिलौना निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। 61 समूहों के माध्यम से 30,054 लाभार्थी लाभान्वित हुए। आईआईई द्वारा कार्यान्वित स्फूर्ति कार्यक्रम के इन 30,054 लाभार्थियों में से 17,759 लाभार्थी महिलाएं हैं जो लगभग 59 प्रतिशत हैं।

(घ) तकनीकी अन्तःक्षेपों ने महिला कारीगरों को पारंपरिक कौशल और डिजाइन से समकालीन उत्पाद बनाने के लिए अपने कौशल और उत्पादकता को बढ़ाने में सक्षम बनाया है। आईआईई द्वारा विकसित कुछ महिला-नीत क्लस्टर नगालैंड से सीधे उत्पादों का निर्यात करने में भी सक्षम हुए हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय और आजीविका कमाने में मदद मिली है। ऐसे उद्यमशील प्रयास महिला-नीत एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) द्वारा संचालित होते हैं जो उद्यम कार्यकलापों को संचालित और प्रबंधित करते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहयोग से अपना खुद का ब्रांड और विशिष्ट पहचान भी विकसित की है।

(viii) महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण तथा महिलाओं द्वारा स्टार्ट-अप (डब्ल्यूईई) परियोजना को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय की ओर से एमएसडीई के साथ भागीदारी में 'डॉयचे जेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल ज़ुसामेनरबीट' (जीआईज़ेड) द्वारा समर्थित किया गया था ताकि भारत में महिला-नीत उद्यमों के लिए रूपरेखा की स्थिति में सुधार किया जा सके। डब्ल्यूईई परियोजना एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, शुरुआत में 3 वर्ष (2018-2021) की अवधि के लिए जिसे एक वर्ष के लिए जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए पोषण और त्वरण कार्यक्रमों का संचालन करना है, जिससे उन्हें महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और देश के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को स्केल-अप करने में सक्षम बनाया जा सके। 'हर एंड नाउ' शीर्षक के तहत, डब्ल्यूईई परियोजना ने सफल महिला उद्यमियों की कहानियों को साझा करने और समाज में जेंडर रोलों और मानदंडों पर सकारात्मक मानसिकता परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म और मीडिया अभियान चलाया था। इस परियोजना के अंतर्गत 908 से अधिक महिला उद्यमियों को पोषण और त्वरण सहयोग कार्यक्रमों के तहत सहयोग दिया गया था।

अनुबंध-I

'महिला उद्यमिता' के संबंध में दिनांक 11.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के संदर्भ में

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (30.11.2023 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42	43	24	7
2	आंध्र प्रदेश	856	1320	1716	1496
3	अरूणाचल प्रदेश	38	84	70	55
4	असम	951	1272	907	410
5	बिहार	665	838	1335	1115
6	चंडीगढ़-यूटी	6	11	10	6
7	छत्तीसगढ़	753	848	703	261
8	दिल्ली	33	45	30	21
9	गोवा	18	43	36	24
10	गुजरात*	1841	2630	1821	1446
11	हरियाणा	622	692	626	374
12	हिमाचल प्रदेश	431	472	352	171
13	जम्मू और कश्मीर	3235	8520	5035	3901
14	झारखंड	444	502	613	276
15	कर्नाटक	1492	1940	1888	899
16	केरल	953	1092	1257	626
17	लद्दाख	85	82	28	24
18	लक्षद्वीप	2	1	1	0
19	मध्य प्रदेश	1435	2385	1813	704
20	महाराष्ट्र**	1179	1712	1523	589
21	मणिपुर	725	552	244	104
22	मेघालय	140	283	121	52
23	मिजोरम	417	333	195	156
24	नगालैंड	310	535	196	88
25	ओडिशा	1319	1874	1757	567
26	पुदुचेरी	13	24	13	7
27	पंजाब	737	818	759	564
28	राजस्थान	663	670	596	372
29	सिक्किम	24	33	22	35
30	तमिलनाडु	2663	2857	2856	1453
31	तेलंगाना	734	1111	953	621
32	त्रिपुरा	224	260	165	80
33	उत्तर प्रदेश	2777	3712	3549	2350
34	उत्तराखंड	551	489	484	267
35	पश्चिम बंगाल	907	1073	928	449
योग		**27285**	**39156**	**32626**	**19570**

* दमन और दीव भी शामिल है

** दादरा नगर और हवेली शामिल हैं

******